नम्बर
जो
तामील

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

प्रकरण संख्या 12/2023

बउनवान

1. बद्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र नन्दपुरी, जाति गुसांई
2. धनराज आयु 54 वर्ष पुत्र नन्दपुरी, जाति गुसांई
3. पप्पूलाल उर्फ राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दपुरी, जाति गुसांई
4. घनश्याम आयु 42 वर्ष पुत्र नन्दपुरी, जाति गुसांई
5. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष पुत्र नन्दपुरी, जाति गुसांई निवासीगण करणाहेड़ा, तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाटव
2. संतोष पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाटव निवासीगण करनाहेड़ा तहसील व जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2022 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम बद्रीलाल
प्रकरण संख्या–01/2022 अंतर्गत धारा–183(बी) आर.टी ए. न्याया. तहसीलदार बारां

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक (अपीलांट्स)

निर्णय दिनांक 22.09.2023

अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 12.09.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम करनाहेड़ा की आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. रेस्पोडेन्टगण को दिनांक 01.01.2002 को आवंटित की गई जबकि वक्त आवंटन आराजी मौके पर उपलब्ध ही नही थी क्योंकि उक्त आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. के सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नंबर 211 रकबा 5 बिस्वा ही था इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिवश साबिक खसरा नंबर 211 रकबा 5 बिस्वा के नये खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. गलत रूप से दर्ज किये गये हैं। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 01.01.2002 को बिना मौका देखे व बिना जमीन की वास्तविक स्थिति देखे आवंटन किया गया है। आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अपीलांटगण द्वारा पेश कर दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय/आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 12.09.2022 अपास्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:54 IST
Reason: SelfAttested

दौराने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिक ने ग्राम करनाहेड़ा की साबिक आराजी खसरा नंबर 211 रकबा 5 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 451 कायम किये जाकर गलत रूप से रकबा 0.27 है. कायम कर दिये जबकि साबिक रकबा 5 बिस्वा ही था जिसमे से भी 4 बिस्वा मौके पर स्थित नहर में चला गया। आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. के लगवां आराजी खसरा नंबर 154

रकबा 0.07 है., 156 रकबा 0.14 है., 449 रकबा 1.12 है., 455 रकबा 2.81 है., 457 रकबा 0.46 है., 553 रकबा 0.06 है., 554 रकबा 1.60 है. कुल किता 8 रकबा 6.31 है. मंदिर श्री महादेवजी विराजमान करनाहेड़ा के खातेदारी में दर्ज है जिसके अपीलांटगण पुजारी की हैसियत से बरसों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसका रकबा भी मौके पर पूरा नही है और गलत रूप से खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. की पैमाइश कर जबरदस्ती मंदिर श्री महादेवजी विराजमान करनाहेड़ा के खातेदारी की जमीन में निकाली जाती है जबकि खसरा नंबर 451 का साबिक खसरा नंबर 211 रकबा 5 बिस्वा था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2038–57 में गलत रूप से अधिक रकबा दर्ज करने के कारण उक्त आराजी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 01.01.2002 को रेस्पोडेन्टगण को आवंटित की गई जबकि मौके पर जमीन ही उपलब्ध नहीं है। अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्टगण का नाम आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. से खारिज कराने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं 136 एलआरए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में बउनवान मूर्ति मंदिर महादेवजी जर्ये पुजारीगण बनाम राजू वगेरह पेश किया हुआ है जो वर्तमान में जैरकार है तथा इसी वाद में अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के हक–हकूक निर्धारित होंगे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

मुताबिक जमाबंदी संवत 2072 ग्राम करनाहेड़ा की आराजी खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाटव हिस्सा 1/2 एवं संतोष पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाटव हिस्सा 1/2 निवासीगण करनाहेड़ा के खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 के अनुसार उक्त खसरा नंबर 451 गत खसरा नंबर 211 से कायम किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2032–35 गत खसरा नंबर 211 का रकबा 5 बिस्वा अंकित है। अपीलांटगण द्वारा इसी आधार पर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया है कि गत खसरा नंबर 22 रकबा 5 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 451 रकबा 0.27 है. गलत रूप से कायम किया गया जबकि यह खसरा नंबर मौके पर मौजूद ही नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि गत खसरा नंबर 211 के रकबे के हाल खसरा नंबर 541 से कायम रकबा अधिक है परन्तु उक्त तथ्य तो बाद साक्ष्य दावे में तय होगें। परन्तु प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता है कि गत खसरा नंबर 211 से हाल खसरा नंबर 451 गलत रूप से कायम किया गया तथा तत्पश्चात आवंटित किया है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 27.07.2022 के मुताबिक भी आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गयी तथा खातेदारान का मौके पर कब्जा नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित [illegible] उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन दावे के निर्णय पश्चात नियमानुसार आगे कार्यवाही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को [illegible] इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)